BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्ता अनीता पत्नी कुलदीप व अभियुक्त सुरजीत पुत्र मलखान निवासीगण ग्राम जयरामपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में अनीता के पति कुलदीप की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 01.07.2019 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 222/19 धारा 302,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.09.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.11.2024 को न्यायाधीश श्री विनीत चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता अनीता व अभियुक्त सुरजीत को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर